सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 852 राँची, मंगलवार, 22 अक्टूबर, 2019 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

21 अगस्त, 2019 ई०।

विषयः- कर्तव्य के दौरान नक्सली/उग्रवादी घटनाओं में मारे गये पुलिस कर्मी तथा अन्य सरकारी सेवकों के माता-पिता को अनुग्रह अनुदान एवं शेष सेवावधि का वेतनादि से आंशिक भुगतान के निमित्त प्रावधान का अंतःस्थापन।

संख्या-18/विविध (07) 05/19- 4512-- कर्तव्य के दौरान नक्सली/उग्रवादी घटनाओं में मारे गये पुलिस कर्मियों तथा अन्य सरकारी सेवकों के परिवार/आश्रित को रु० 10,00,000/- (दस लाख) एकमुश्त अनुग्रह अनुदान तथा शेष सेवावधि का वेतनादि (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) का भुगतान, एक वर्ष तक निःशुल्क सरकारी आवास अथवा मकान किराया का भुगतान तथा अधिकतम दो बच्चों का निःशुल्क शिक्षा सुविधा का प्रावधान गृह विभाग, झारखंड सरकार के परिपत्र सं०-गृ०स०-5-64/2000-गृ०वि०-350, दिनांक-21.03.2001 द्वारा की गयी है ।

2. प्रावधान अन्तर्गत उग्रवादी हिंसा में मारे गये पुलिस कर्मी/सरकारी सेवक की विधवा (पत्नी) को ही अनुकम्पा के आधार पर नौकरी/एकमुश्त अनुग्रह अनुदान तथा शेष सेवावधि का वेतनादि का शत प्रतिशत भुगतान किया जाता है। मृतक के माता-पिता को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। कालान्तर में मृतक की विधवा पुनः शादी कर अन्य परिवार में चली जाती है और मृतक के माता-पिता से अलग रहने लगती है। इस

प्रकार वह मृतक के माता-पिता का भरण-पोषण नहीं करती है। इस स्थिति में मृत पुलिस कर्मी के वृद्ध, असहाय माता-पिता आर्थिक बदहाली की स्थिति में चले जाते हैं। उनके समक्ष जीवन निर्वाह की कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है। विभागीय संकल्प सं०-2598, दिनांक-09.06.2011 में माता/पिता को आश्रित माना गया है। इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया है कि मृत पुलिस कर्मी/सरकारी कर्मी के माता-पिता को भी अनुमान्य सरकारी लाभ की राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) भुगतान का प्रावधान किया जाय।

3. उपरोक्त वर्णित पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि नक्सली/उग्रवादी हिंसा में मृत पुलिस कर्मी एवं अन्य सरकारी सेवकों के माता-पिता को आर्थिक बदहाली में जाने से रोकने तथा आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से परिपत्र सं०- गृ०स०-5-64/2000-गृ०वि०-350, दिनांक-21.03.2001 की कंडिका-2 (क) (II) के बाद निम्न प्रावधान को अंतःस्थापित किया जाय:-

अगर मृतक के माता पिता भी उस पर आश्रित थे तो देय सभी पावनों का भुगतान निम्न अनुपात में किया जाएगा -

(I) मृतक के माता-पिता - 25%

(II) मृतक की पत्नी/ पति/सन्तान - 75%

माता-पिता मृतक पर आश्रित थे या नहीं, इस बिन्दु पर निर्णय संबंधित उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक द्वारा लिया जाएगा। अगर माता-पिता दोनों जीवित हैं, तो यह 25% राशि उनके संयुक्त बैंक खाता में हस्तांतरित की जायगी। अगर दोनों में से एक ही जीवित हैं, तो उनके खाते में यह 25% राशि हस्तांतरित की जायगी।

4. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुखदेव सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 852 -- 50